इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2024-श्रावण 31, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 12691—159—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव,

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ विषय सूची

धाराएं :

- 9. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- २. धारा २ का संशोधन.
- ३. धारा २० का प्रतिस्थापन.
- ४. नई धारा १२२क का अंतः स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ [िदनांक २१ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २२ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

- 9. (9) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.
 - (२) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

धारा २ का संशोधन.

- २. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में खण्ड (६१) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
 - ''(६१) ''इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत हैं, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सिम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी हैं;".

धारा २० का प्रतिस्थापन

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति. ३. मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

- "२०. (१) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा ε की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा २४ के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रिजस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा.
- (२) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन उसी राज्य में रिजस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्वधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा.
- (३) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा;".
- ४. मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

विशेष प्रक्रियानुसार माल के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कतिपय मशीनों को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए शास्ति.

नई धारा १२२क का

अंतः स्थापन.

"१२२क. (१) इस अधिनयम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा १४८ के अधीन मशीनों के रिजस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अितिरक्त, जो अध्याय १५ के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रिजस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा.

(२) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (१) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,-

- (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और
- (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है:".

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 12691—159—इक्कीस—अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 of 2024

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Section 2.
- 3. Substitution of Section 20.
- 4. Insertion of new Section 122A.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 of 2024

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 21st August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August, 2024.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2024.
 - (2) The provisions of this Act shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 2.

- 2. The Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9, for or on behalf of distinct person referred to in Section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in Section 20;".

Substitution of Section 20.

3. For Section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.

- "20. (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 9, for or on behalf of distinct persons reffered to in Section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of Section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.
- (2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub section (4) of Section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed.
- (3) The credit of State tax shall be distributed as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner, as may be prescribed.".

- 4. After Section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
- Insertion of new Section 122A.
- "122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under Section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of Rupees One Lakh for every machine not so registered.
- Penality for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.
- (2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where,-

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".